



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072021-228568
CG-DL-E-29072021-228568

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2802]
No. 2802]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2021/श्रावण 7, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/SHRAVANA 7, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2021

का.आ. 3024(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 11 मार्च, 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1159(अ) तारीख 10 मार्च, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, हिन्दुस्तान टाइम्स और हिन्दुस्तान में तारीख 18 मार्च 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया, तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	जमीन का प्रकार	जमीन की प्रकृति	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मे)	भू-स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	देवबन्द	देवबन्द	निजी	कृषि	1544	0.0378	रूपचन्द पुत्र अमर सिंह ।
02		रणखन्डी	निजी	कृषि	2296	0.0120	जयप्रकाश, कंवरपाल, कृष्णपाल पुत्रगण इसम सिंह ।
			निजी	कृषि	832	0.0194	ओम सिंह पुत्र गजे सिंह जनक पुत्र जगदीश मुकेश कुमार पुत्र शौराज सिंह मुन्नी देवी पत्नी स्व० शौराज सिंह ।
03		बहादरपुर	निजी	कृषि	321 / 1	0.0240	प्रीतम सिंह पुत्र रतीराम ।

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2173]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टे.वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2021

S.O. 3024(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 1159(E), dated the 10th March, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 11th March, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Saharanpur in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Hindustan Times and Hindustan, dated the 18th March, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections have been received and the same have been considered by the Competent Authority and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Saharanpur in the State of Uttar Pradesh.

Sl. No.	Name of Tehsil	Name of Village	Type of Land	Nature of Land	Khasra No.	Area in Hectares	Name of the Land owner/interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deoband	Deoband	Private	Agriculture	1544	0.0378	Rupchand S/o Amar Singh.
2		Rankhandi	Private	Agriculture	2296	0.0120	Jayprakash, kawarpal, krishanpal S/o Isam Singh.
			Private	Agriculture	832	0.0194	Om singh S/o Gaje Singh, Janak S/o Jagdish, Mukesh kumar S/o Shauraj Singh, Smt. Munni W/o Lat. Shauraj Singh.
3		Bahadarpur	Private	Agriculture	321/1	0.0240	Preetam Singh S/o Ratiram.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/ 2173]

A. K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)